35. 23rd November, 1993.
36. 24th November, 1993.
37. 25th November, 1993.
38. 27th November, 1993.
39. 30th November, 1993.
40. 6th January, 1994.
41. 7th January, 1994.
42. 8th January, 1994.
43. 24th January, 1994.
44. 25th January, 1994.
45. 27th January, 1994.
46. 28th January, 1994.
47. 29th January, 1994.
48. 31st January, 1994.
49. 1st February, 1994.
50. 2nd February, 1994.
51. 3rd February, 1994.
52. 4th February, 1994.
53. 7th February, 1994.
54. 8th February, 1994.
55. 9th February, 1994.
56. 10th February, 1994.
57. 11th February, 1994.
58. 12th February, 1994.

BSF suggestions for providing I. Cards to Inmates of Border Areas of West Bengal

334. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Border Security Force, in a report, has suggested the Central Government to provide photo Identity Cards to inmates of West Bengal who are residing in the nearby border areas;

(b) if so, what steps have been taken till now; and

(c) if any action has not yet been initiated, what are the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) Introduction of a Scheme of Identity Cards in certain infiltration prone border areas of the country including the States of Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura and West Bengal in the North East has been receiving consideration of the Central Government. A report of the Border Security Force in this regard was also received and was given consideration.

(b) The Government have decided to introduce a Scheme of Identity Cards in certain infiltration-prone border areas of the country including West Bengal. The State Governments has been requested to complete the gound-work so that distribution of Identity Cards may start immediately. The Specified Areas (Issue of Identity Cards to Residents) Bill, 1993, was also introduced in the Lok Sabha on 17-12-1993 to provide legal cover to the Scheme.

(c) Does not arise.

Setting up of Permanent Fire Station

335. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a permanent fire station on the Bawana Auchandi - Road near DTC depot;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when the same is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A four-storeyed Fire Station at an estimated cost of Rs. 1.69 crores is proposed to be set up which will take about two years' time to complete.

रेलगाड़ी में बम विस्फोट

336. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:**
श्री ओ० राजगोपाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 21 जनवरी, 1994 को इलाहाबाद-देहरादून लिंक एक्सप्रेस में एक घंटे के अंतराल में दूसरा बम विस्फोट होने के क्या कारण हैं;

(ख) घटना की जांच करने के पश्चात दोषी पाये गये

अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति जख्मी हुए; और उन्हें क्या सहायता दी गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) दिनांक 21.1.1994 को लिंक-एक्सप्रैस में हुए दोनों बम विस्फोटों के कारण अभी तक अज्ञात हैं।

(ख) मामले की जांच, लखनऊ के अपराध अन्वेषण विभाग की अपराध शाखा के विशेष बम निरोधक दस्ते द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने पर, दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ग) पहले बम विस्फोट में 4 व्यक्ति घायल हुए तथा दूसरे में एक महिला घायल हुयी। इसके अलावा पहले विस्फोट में एक व्यक्ति अचेत हो गया। उन सभी को हरिद्वार के जिला अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। रेलवे प्राधिकारियों ने गंभीर रूप से घायल हुए दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को 2000/- रुपये की अनुग्रहपूर्ण राहत दी है।

झांसी पुलिस लाइन में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भर्ती

337. **चौधरी हरि सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 2 और 3 फरवरी, 1994 को झांसी पुलिस लाइन में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की भर्ती की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने उम्मीद्वार भर्ती किए गये और वे कहां-कहां के रहने वाले हैं;

(ग) क्या यह भर्ती उक्त बल के किसी कमांडेंट के पर्यवेक्षण में की गई थी; यदि हां, तो उसका नाम क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त बल के कमांडेंट के कुछ रिश्तेदारों को भी भर्ती किया गया था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) सीमा सुरक्षा बल द्वारा 33 पी ए सी लाइंस, झांसी में 3 फरवरी से 8 फरवरी, 1994 तक भर्ती की गई थी।

(ख) कुल 28 उम्मीद्वारों की भर्ती की गई थी और ये उम्मीद्वार, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों के हैं:—

फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, इटावा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, सुलतानपुर बुलन्दशहर, इलाहाबाद, मैनपुरी, जालौन, बिजनौर, कानपुर, देहात, पिथौरागढ़, मुजफ्फरननगर और बरेली।

(ग) भर्ती, श्री एस०सी० वैद, कमांडेंट की अध्यक्षता वाले एक 5 सदस्यीय अधिकारी बोर्ड द्वारा की गई थी।

(घ) सीमा सुरक्षा बल ने सूचित किया है कि पीठासीन अधिकारी सहित बोर्ड के सदस्यों के किसी रिश्तेदार की भर्ती नहीं की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा

338. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सीमा रेखा के निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं; और क्या सरकार इस प्रकार की सीमा रेखा को देश के हित में नहीं समझती; और

(ग) यदि कोई समुद्री सीमा रेखा पहले से ही निर्धारित है तो क्या पड़ौसी देशों द्वारा उस सीमा रेखा का पालन किया जा रहा है?

विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) सरक्रीक क्षेत्र में सीमांकन के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं। पाकिस्तान का बराबर यह मानना रहा है कि जब तक ये मतभेद दूर नहीं हो जाते तब तक भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के अंकन के सम्बन्ध में कोई बातचीत करना सम्भव नहीं है।

सरकार का यह मत है कि समुद्री सीमा के अंकन का मसला तात्कालिक स्वरूप का है।

(ग) पारस्परिक करारों के तहत श्रीलंका, मालदीव और म्यांमा के साथ सीमांकन किया जा चुका है और वे देश इस सीमांकन का पालन कर रहे हैं।